राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

विद्यार्थी आचार संहिता

विद्यार्थियों के लिए निर्देश -

1. महाविद्यालय के गौरव और मर्यादा की रक्षा एवं उत्कर्ष का पुनीत दायित्व आपका ही है। ज्ञान - साधना के इस महत्त्वपूर्ण केन्द्र में अनुशासन एवं शांति बनाए रखें। कोलाहल से अध्ययन अध्यापन में व्यवधान न पड़ने दें। किसी भी प्रकार की उच्छृंखलता व अनुशासनहीनता दण्डनीय अपराध है।

2. महाविद्यालय में उपस्थिति संबंधी नियम कड़ाई से लागू होंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार 75 % से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. आपके और महाविद्यालय के मध्य मुख्य सम्पर्क का माध्यम सूचनापट्ट है। सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) नियमित रूप से देखें। कोई सूचना प्राप्त न होने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। विद्यार्थियों का मुख्य ध्येय विद्यार्जन है। छात्राऐं सूचना पट्ट पर समय सारणी देखकर कक्षाओं में नियमित रूप से और समय पर उपस्थित हों। 1 जुलाई से कक्षाऐं नियमित रूप से लगेंगी।

4. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। किसी भी छात्रा को रैंगिंग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5. संस्था के गुरुजन एवं समस्त कर्मचारियों के प्रति सम्मानपूर्ण एवं सज्जनता का व्यवहार करना आपका नैतिक कर्त्तव्य है। छात्राओं के अभिभावकों एवं परिजनों से भी अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार न करें।

6. महाविद्यालय में मादक पदार्थों का सेवन पूर्णत: निषेध है।

7. परिसर की स्वच्छता बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। कक्षाओं में फर्नीचर व्यवस्थित रखें।

8. अपना ' परिचय - पत्र ' सदैव संभाल कर रखें। यह आपके महाविद्यालय की नियमित छात्रा होने का प्रमाण है।

9 . विभिन्न परिषदों द्वारा आयोजित शैक्षिक , सहशैक्षिक , शिक्षणेत्तर , सांस्कृतिक एवं खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों में पूर्ण रूचि एवं उत्साह से भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करें।

10. संस्था से प्रकाशित होने वाली पत्रिका तरंगिणी में अपनी श्रेष्ठ रचनाएँ प्रस्तुत कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करें।

11. यदि आप किसी निजी वाहन द्वारा महाविद्यालय में आती हैं तो उसे नियत ' स्टेण्ड ' पर रखें। वाहन सम्बन्धी निर्धारित शुल्क महाविद्यालय कार्यालय में जमा करवाएं।

12. महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर शुल्क अदायगी की रसीद हमेशा संभाल कर रखें क्योंकि परिचय पत्र , पुस्तकालय कार्ड , कक्षा में उपस्थिति पंजिका में अपना नाम दर्ज करवाना आदि कई कार्यों हेतु इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

13. अध्ययन काल में यदि आप कोई नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं या करने लगे हैं तो उसकी पूर्ण जानकारी महाविद्यालय को यथासमय दे दें।

14. आपके स्थानीय डाक के पते में परिवर्तन होने पर नये पते की सूचना अभिभावक / संरक्षक से प्रमाणित करवा कर महाविद्यालय कार्यालय में दे दें।

15. नियमित छात्राओं के अतिरिक्त किसी भी बाह्य व्यक्ति का महाविद्यालय प्रांगण में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। बाह्य व्यक्ति के साथ परिसर में इधर - उधर अनावश्यक रूप से भ्रमण करना अथवा बैठना अनुशासनहीनता माना जायेगा।

आवश्यक सूचना

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अप्रैल 1999 में दिए गये निर्णयानुसार छात्र - छात्रा उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने वाली छात्राओं को उक्त निर्णयानुसार महाविद्यालय से तुरंत निष्कासित किया जाएगा। महाविद्यालय की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें छात्रा उत्पीड़न (रैगिंग) के किसी प्रयास घटना की कोई जानकारी मिले तो वे तुरंत प्राचार्य / उपप्राचार्य / डीन ऑफ स्टूडेन्ट किसी भी प्राध्यापक को सूचित करें। दोषी छात्रा को प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय आर्डिनेन्स 88 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार से दण्डित किया जा सकता है।

1. संस्था से निष्कासन।

2. तीन वर्ष की कैद |

3. वित्तीय दण्ड 25000 / - रूपये तक।

4. रैगिंग आपराधिक कृत्य महाविद्यालय परिसर में रैगिंग ' (Ragging) एक अपराधिक कृत्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं यू.जी.सी. ने रैगिंग ' में लिप्स विद्यार्थियों के लिए बहुत सख्त शैक्षणिक एवं आर्थिक दण्डों की व्यवस्था की है। इस कृत्य में लिप्त विद्यार्थियों को महाविद्यालय से तुरन्त प्रभाव से निष्कासित कर दिया जायेगा।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

छात्राओं के लिए 75 % उपस्थिति अनिवार्य है।

1- सत्र 2011-2012 शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार सभी कक्षाओं में अध्यापन कार्य 1 जुलाई से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रथम दिन से ही कक्षाओं में छात्राओं की उपस्थिति नियमित रूप से पंजिका में अंकित की जायेगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी। पूरक परीक्षा योग्य छात्राओं की उपस्थिति भी इसी दिन से अंकित की जायेगी।
2- विश्वविद्यालय की परीक्षा में छात्रा नियमित रूप से तभी शामिल हो सकेगी , जबकि छात्रा की प्रत्येक विषय के व्याख्यानों व प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति विश्वविद्यालय /आयुक्त कार्यालय के द्वारा निर्धारित (75 %) से कम न हो।
3- महाविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में जो छात्राएं एन.सी.सी. , एन.एस.एस. खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय स्तर पर अथवा अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा किसी युवा समारोह (विश्वविद्यालय द्वारा

आयोजित) में भाग लेगी, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 144 के अनुसार उन्हें इन दिवसों हेतु उपस्थिति लाभ दिया जा सकेगा । इसके लिए आवश्यक प्रमाण - पत्र महाविद्यालय की अकादमिक शाखा में अविलम्ब जमा कराया जाना चाहिए।

4- विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व जिन छात्राओं की उपस्थिति निर्धारित संख्या से कम रहती है, उनके प्रवेश पत्र रोके जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को आवश्यक सूचना प्रेषित कर दी जायेगी। उन्हें निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देकर स्वयंपाठी छात्रा के रूप में परीक्षा देनी होगी।

5- ऐसी छात्रायें , जो छात्रवृत्ति पाने की पात्र हैं, परन्तु जिनकी उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम है, उनकी छात्रवृत्ति रोकने की कार्यवाही की जायेगी।

6- प्रत्येक माह के अन्त में छात्राओं की उपस्थिति सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा कक्षाओं में घोषित की जायेगी । छात्राओं की उपस्थिति प्रत्येक टर्म के अन्त में निर्धारित संख्या से कम पाये जाने पर इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। छात्राओं तथा अभिभावकों का कर्त्तव्य है कि वे उपस्थिति के विषय में जानकारी रखें।

7- सरकार द्वारा निर्देशित समयावधि में जिन छात्राओं की उपस्थिति कम होगी उनके स्थाई निवास पर डाक द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी।

8- परीक्षा आवेदन पत्र भरने मात्र से किसी विद्यार्थी को परीक्षा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

9- आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार के अनुसार तीन टेस्टों में भाग लेने वाली प्रत्येक छात्रा को नियमानुसार अतिरिक्त उपस्थिति का लाभ दिया जायेगा।

वित्तीय सूचनायें

1. **परिचय पत्र -** प्रत्येक छात्रा को परिचय पत्र रखना होगा , जिस पर प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया हुआ उसका चित्र अवश्य चिपका हुआ होना चाहिए। छात्रा को प्रवेश शुल्क जमा कराते समय परिचय पत्र पर प्रवेश समिति के संयोजक / सदस्य से अपना फोटो प्रमाणित करवा कर अकादमिक शाखा में प्राचार्य के हस्ताक्षर हेतु जमा करवाना होगा। परिचय पत्र पूर्णतया अहस्तांतरणीय है। यदि किसी छात्रा का परिचय पत्र खो जाये तो रु .30 / (दण्ड शुल्क के रूप में) और परिचय - पत्र शुल्क रु. 30 के भुगतान करने पर परिचय पत्र की डुप्लीकेट प्रति दी जायेगी।

2. **स्थानान्तरण एवं चरित्र प्रमाण** – पत्र - रु. 145 / - की देय राशि पर आवश्यकतानुसार चरित्र प्रमाण - पत्र प्राप्त किया जा सकता है । यह महाविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र पर ही दिया जा सकता है। चरित्र प्रमाण - पत्र छः माह में एक बार और महाविद्यालय छोड़ने के बाद केवल एक बार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में चरित्र प्रमाण - पत्र नहीं दिया जाएगा। अवधान राशि (कॉशन मनी) - यदि कोई महाविद्यालय शुल्क बकाया नहीं है तो यह राशि वापस लेने के लिए महाविद्यालय छोड़ने की तिथि के छह माह बाद निर्धारित प्रार्थना - पत्र , जो कार्यालय में उपलब्ध है , प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कार्यालय में देते समय उसकी रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी कारण से छात्रा पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दण्ड | निर्धारित होता है, तो दण्ड की राशि अवधान राशि में से काटी जायेगी।

3. स्नातक उपाधि (डिग्री) हेतु 125 / - रुपये महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत) कोष में अंशदान।